न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2023 (अपील)

GCMS No. 2023/4

अनवान

श्रीमती शमशाद बेगम पत्नी निसार खान मुसलमान निवासी चावण्ड तहसील सराडा जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

राज्य जरिये तहसीलदार साहब, तहसील सराडा जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्

उपस्थित

1. श्री भगवतसिंह शक्तावत, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता ।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 1461 तहसीलदार सराडा आदेश दिनांक 21.06.2019

* निर्णय *

दिनांक– 12-04-2023

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट के नाम खाता संख्या 776 के आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.22 हे. भूमि में से 0.05 हे. भूमि दिनांक 05.07.2019 को रेस्पोडेन्ट के नाम समर्पण कर उसे बिलानाम सरकार दर्ज कर दी जावे उक्त बात को लेकर स्टाम्प किमती 100/– रूपये पर उप पंजीयक सराडा के समक्ष समर्पण पत्र निष्पादित कर दिया अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट को की गई 0.05 हे. भूमि पर रास्ता बनाने के लिए समर्पण की जबकि समर्पण से पुर्व अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट ने आपस में मिलकर यह तय किया कि आराजी नम्बर 2727 के दक्षिण पुर्व दिशा में होकर रास्ता बनाना था उस रास्ते के लिए अपीलांट ने अपनी आराजी मे से कुछ हिस्सा ही समर्पण किया जबकि रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट ने अपनी आराजी मे से कुछ हिस्सा ही समर्पण किया जबकि रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के समर्पण के बाद उसकी आराजी नम्बर 2727 के उत्तर पश्चिम के [illegible] होते हुए दक्षिण दिशा में रास्ता मौका पर्चा में दर्ज कर दिया है व जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के आराजी नम्बर 5721/2727

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:15 IST
Reason: SelfAttested

क्षेत्रफल 0.17 हे. तथा समर्पित भूमि 0.05 हे. है जिससे दुखी होकर अपीलांट यह अपील पेश कर रही है। अपीलांट अनपढ होकर निरक्षर महिला है जिसकी भूमि में से रास्ते का जो दाखला लगाने के लिए मौके पर पटवारी आया तब अपीलांट को पता चला कि मौके पर पश्चिम से दक्षिण रास्ता दर्ज किया जा रहा है जबकि अपीलांट अपनी भूमि पर दक्षिण से पुर्व की ओर कुछ आराजी समर्पण कर रास्ता चाहती थी परन्तु रेस्पोडेन्ट के अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का चावण्ड द्वारा मौके पर गलत तरिके से पश्चिम दक्षिण दिशा में 0.05 हे. पर रास्ता दर्ज किया है जो कि काबिल निरस्त के योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट के विरूद्व आदेश फरमाया जावे कि मौजा चावण्ड पटवार हल्का चावण्ड तहसील सराडा के नामान्तरकरण संख्या 1461 दिनांक 21.06.2019 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट का आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.05 हे. सपर्पित भूमि को वापस अपीलांट के खाते में दर्ज की जावे। अन्य कोई दाद न्यायालय जो मुनासिफ समझे अपलांट को दिलाई जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा अपीलाण्ट द्वारा किया गया समर्पण आदेश अनुसार नामन्तरकरण संख्या 1461 दिनांक 21.06.2019 को निरस्त फरमाया जावे। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा समर्पण आदेश के आधार पर सही नामान्तरकरण दर्ज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है अतः अपील को खारिज किया जावे।

हमने अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.06.2019 में पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से अपीलाण्ट द्वारा मौजा चाण्वण्ड पटवार हल्का चावण्ड के नामान्तरकरण संख्या 1461 दिनांक 21.06.2019 को निरस्त किया जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई। जिस नामान्तरकरण क विरूद्ध अपील दायर की गई है वह नामान्तरकरण तहसीलदार सराडा द्वारा जारी समर्पण आदेश क्रमांक 176—178 दिनांक 14.06.2019 की पालना में पारित किया गया है चूंकि तहसीलदार सराडा द्वारा जिस दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया है वह एक वैध दस्तावेज है, एवं उसी के आधार पर जो नामान्तकरण की कार्यवाही की गई वह नियमानुसार की गई है। उक्त समर्पण आदेश के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:15 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध न्यायालय में अपील संख्या 1/23 श्रीमती शमशाद बेगम बनाम राज्य में भी आज दिनांक को निर्णय पारित कर उक्त अपील खारीज की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा जो नामान्तरकरण किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1461 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:15 IST
Reason: SelfAttested